-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति-5.0 अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बांदा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में महिला आरक्षियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन। महिला बीट आरक्षियों को मिशन शक्ति अभियान को और अधिक व्यापक बनाने तथा जगसहभागिता बढ़ाने हेतु किया गया प्रशिक्षित।**

विवरण- मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण हेतु चलाए जा रहे **मिशन शक्ति- 5.O** अभियान के तहत **पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल** के निर्देशन में आज दिनांक 08.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज की अध्यक्षता में महिला बीट आरक्षियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिला बीट आरक्षियों को बीट क्षेत्र में महिलाओं और बच्चियों से बेहतर समन्वय स्थापित करने, महिला अपराधों और घरेलू हिंसा को रोकने और POSH (Prevention of Sexual Harassment) अधिनियम के प्रावधानों के बारे जानकारी दी गई। उन्हें घरेलू हिंसा और महिला अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनी प्रक्रियाओं, प्राथमिक जांच और त्वरित कार्रवाई के उपायों पर जानकारी दी गई। POSH अधिनियम के अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के कानूनी प्रावधानों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन का भी प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाल में अपर पुलिस अधीक्षक कहा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में महिला आरक्षियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यशाला में क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अंबुजा त्रिवेदी द्वारा महिला आरक्षियों को अपने बीट क्षेत्रों में बाल-विवाह पर प्रभावी रोकथाम लगाने, अभिभावकों को बाल-विवाह की हानियों को बारे में बताने तथा बाल-विवाह संबंधी अपराध के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के बारे में जागरुक करने के निर्देश दिए। कार्यशाला में थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती अनुपमा तिवारी सहिता सभी थानों की महिला बीट आरक्षी उपस्थित रही।